संख्या:123/2022/323/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 31 मार्च,2022

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क कार्य के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-बहराइच में शासनादेश संख्या-141/2021/1403/35-4-2021 दिनांक 18 सितम्बर,2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बन्धित 05 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई थी। इन कार्यों में से 01 कार्य यथा-**वि0ख0 मिहिंपुरवा के ग्राम चफरिया से मटेही सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण (लं0-2.700 किमी0)** की रूपए 193.51 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपए 96.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, बहराइच के पत्र सं0-769/त्व0आ0 वि0यो0/2019-20/2021 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा उक्त मार्ग की लम्बाई 2.700 किमी0 के स्थान पर 1.710 किमी0 इंगित करते हुए निर्माण कार्य का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया। एतद्द्वारा उक्त मार्ग निर्माण कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू. 193.51 लाख के सापेक्ष कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 129.24 लाख पर पुनरीक्षित किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 सितम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-141/2021/1403/35-4-2021 दिनांक 18 सितम्बर,2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 96.76 लाख को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।

(3) मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी, कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जीएसटी की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जीएसटी सम्मिलित न हो।

(9) परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(15) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 22 मार्च, 2021 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-3546/दस/2021-2022 दिनांक 31 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:123/2022/323(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त,देवीपाटन।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बहराइच।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।